झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (नीति) 17/2021— 717

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :— 02·11·2021

विषय :— **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–4 (क), धारा–5 (1)(क) एवं धारा–8 के उल्लंघन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय सदस्यगण द्वारा गढ़वा एवं पलामू जिले का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों गढ़वा एवं पलामू के साथ बैठक की गई। बैठक में यह पाया गया कि गढ़वा एवं पलामू जिले में गर्भवती महिला/धात्री माता/3 वर्ष से छोटे बच्चों को दिये जाने वाले THR का वितरण अंतिम बार माह मई, 2021 तक ही किया गया है, उसके बाद से लाभुकों को दिये जाने वाला THR बंद है। कोरोना काल में Hot cooked meal के बदले बच्चों को दिये जाने वाले अनाज एवं अन्य सामग्री भी बंद है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–4 (क) एवं धारा–5 (1) (क) का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 में यह प्रावधान है कि यदि किसी कारणवश लाभुकों को उनकी हकदारी नहीं दी जाती है तो उन्हें उस अवधि का खाद्य सुरक्षा भत्ता देय होगा। उपरोक्त मामलों में लाभुकों को सुरक्षा भत्ता भी नहीं दी गई। आयोग इस मामले में काफी गंभीर है। झारखण्ड में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए उन लाभुकों को योजना का लाभ नहीं दिया जाना काफी सोचनीय व दुखद है।

अतः अनुरोध है कि मामले में आप अपने स्तर से संज्ञान लेते हुए THR तथा Hot cooked meal के बदले में दिये जाने वाले अनाज एवं अन्य सामग्री को निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करने की कृपा करें तथा उपरोक्त मामलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 के तहत् लाभुकों को खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

पुनःश्च माननीय सदस्यों द्वारा गढ़वा और पलामू जिले के रिपोर्ट के आधार पर आयोग सभी जिलों में THR और Hot cooked meal या वैकल्पिक आहार बांटे जाने की अद्यतन स्थिति जानना चाहता है। कृपया सभी जिलों के हर आंगनबाड़ी केन्द्रों में पिछले 6 माह में THR और Hot cooked meal के बदले बांटे गये वैकल्पिक आहार का संपूर्ण विवरण 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें

15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य होगा कि पलामू और गढ़वा जैसी स्थिति ही अन्य सभी जिलों की है। नियमित तौर पर THR और Hot cooked meal के बदले वैकल्पिक आहार का वितरण न करना खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की विषयांकित धाराओं का उल्लंघन है।

विश्वासभाजन

02/11/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

ज्ञापांकः— रा0खा0आ0 (नीति) 17/2021— 717 राँची, दिनांकः— 02.11.2021

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः— रा0खा0आ0 (नीति) 17/2021— 717 राँची, दिनांकः— 02.11.2021

प्रतिलिपिः— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः— रा0खा0आ0 (नीति) 17/2021— 717 राँची, दिनांकः— 02.11.2021

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

01

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261